UPSP010059532026

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।**

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड– यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2320/2026

शौकीन पुत्र इमरान निवासी ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर ।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

राज्य ..... **अभियोजन**

मु.अ.सं.– 215/2026
धारा– 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– बेहट जिला– सहारनपुर।

**08–06–2026**

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शौकीन** पुत्र इमरान द्वारा मु0अ0सं0–215/2026 धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ नदीम पुत्र इमरान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अभियुक्त का इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 23.05.2026 को वादी मुकदमा उ0नि0 धीरज सिंह मय हमराही कर्मचारीगण के मय प्राइवेट वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट नं. 16 समय 08:10 बजे रवाना होकर अन्दर इलाका थाना क्षेत्र मे मामूर थे कि जब पुलिसकर्मी गन्देवड से मिर्जापुर मार्ग की ओर पहुँचे तो मिर्जापुर की ओर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया जो पुलिस वालो को अचानक अपने पास आता देख कर एकदम शकापकाते/घबराये हुये मिर्जापुर मार्ग से कब्रिस्तान जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर तेज कदमों से जाने का प्रयास करने लगा कि शक होने पर पुलिस वालो ने इस व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग कर मिर्जापुर रोड ग्राम गंदेवड मिर्जापुर मार्ग से कब्रिस्तान जाने वाले कच्चे रास्ते पर 50 कदम की दूरी पर पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम **शौकीन** पुत्र इमरान निवासी ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर उम्र करीब 31 वर्ष बतायी और बताया कि साहब मेरे पास स्मैक है। दाहिने हाथ में पकडी काले रंग की पोलीथीन को दिखाते हुए बताया कि साहब इस पोलीथीन में स्मैक है। वादी उ0नि0 द्वारा पकडे गये व्यक्ति को इसके अधिकारों से अवगत कराते हुये बताया कि आपको पूर्ण अधिकार है। कि आप अपनी तलाशी किसी अधिकार राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवे सकते हैं। पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि साहब आपने मुझे पकड ही लिया तो आप ही मेरी तलाशी ले लो। वादी उ0नि0 द्वारा सहमति पत्र तैयार कर अभियुक्त शौकीन उपरोक्त से अलामात बनवाये गये तथा अभियुक्त शौकीन उपरोक्त की जामातलाशी का0 71 ब्रजवीर राणा के द्वारा ली गयी तो दाहिने हाथ में पकडी काली पोलीथीन को वादी उ0नि0 के द्वारा खोलकर देखा गया तो काली पन्नी के अन्दर एक सफेद पारदर्शी पोलीथीन में गुलाबी रंग का पाउण्डर है। जिसे खोल कर सूंघा गया व हमाराहीयान को सुंघाया गया तो बरामद पदार्थ प्रथम दृष्टया **स्मैक** प्रतीत हो रहा है। तथा इसमें स्मैक जैसी गन्ध आ रही है। जामातलाशी से उक्त के अलावा पहने कपड़ो के को छोडकर अन्य कोई शय बरामद नहीं हुयी।

पकडे गये व्यक्ति शौकीन उपरोक्त से बरामद स्मैक को वादी उ0नि0 द्वारा विवेचना किट में रखे इलेक्ट्रनिक कांटे को निकालकर मौके पर अभियुक्त शौकीन उपरोक्त के समक्ष तौला गया तो कुल वजन **15.5 ग्राम** है अभियुक्त शौकीन उपरोक्त का यह कृत्य जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः पकड़े गये व्यक्ति शौकीन उपरोक्त को इनके जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 09:33 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त शौकीन के विरुद्ध धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में गांव की पार्टीबाजी व रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी उक्त केस में दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध है। प्रार्थी के कब्जे से जो 15.5 ग्राम स्मैक पाउडर की बरामदगी पुलिस द्वारा दर्शायी गयी है, वह मात्र फर्जी एवं झूठी प्लांट की गयी है, जबकि प्रार्थी के कब्जे से उक्त मामले से संबंधित कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं हुई है। सभी कार्यवाही पुलिस द्वारा थाने पर बैठकर फर्जी की गयी है। जनता का गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा एनडीपीएस एक्ट में दिये गये मेन्डेटरी प्रावधानों की अनदेखी की गयी है। प्रार्थी का कोई अन्य पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा ना ही पूर्व सजायाफ्ता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त शौकीन को मौके से पकड़े जाने पर जामातलाशी में उसके कब्जे से **15.5 ग्राम अवैध स्मैक** की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त शौकीन को मौके से पकड़े जाने पर जामातलाशी में उसके कब्जे से **15.5 ग्राम अवैध स्मैक** की बरामदगी होना, अभिकथित है। उपरोक्त बरामद स्मैक के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

| नोटिफिकेशन में क्र. सं. | पदार्थ का नाम | अल्पमात्रा | वाणिज्यिक मात्रा | अभियुक्त से बरामद |
|---|---|---|---|---|
| 56 | स्मैक | 5 ग्राम | 250 ग्राम | **15.5 ग्राम** |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद स्मैक की मात्रा अल्पमात्रा से तो अधिक है लेकिन वाणिज्यिक श्रेणी से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनाँक 23.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **शौकीन** पुत्र इमरान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–215/2026, अन्तर्गत धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना बेहट जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न

शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है कि–

(1) अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और बिना किसी कारण कोई स्थगन नहीं देगा और गवाह आने पर प्रत्येक स्थिति में गवाह से प्रतिपरीक्षा करेगा,

(2) अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा, और

(3) अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक– 08–06–2026

(**निशान्त देव**)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)